आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

28/07/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 129/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता मोती साव, पिता–गोखुल साव, ग्राम–कारपी, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
2001	2001	01 कठा	उतर–सवदागर बेलदार दक्षिण–नथुन साव पूरब– तुला साव पश्चिम–नाहर

मौजा– करपी, थाना नं०–201, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि के संबंध में से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी द्वारा पत्रांक 447 दिनांक 07.08.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता की ओर से मनोज कुमार, पिता– श्री ज्वाहर साव भूदाता का पोता न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि दान पत्र के बारे में मुझें मालूम नहीं है। भूदान के तरफ से कोई आपति दाखिल नहीं किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। सिताराम सिंह गवाह का नाम अंकित है। भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिनांक 01.10.1953 में भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूदान पर्चा में खाता प्लॉट गलत अंकित है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र में खाता एवं खेसरा एक ही अंकित है, जिसे स्पष्ट नही हो पा रहा है कि वर्णित भूमि का खाता संख्या एवं खेसरा संख्या क्या है, जबकि अंचल अधिकारी करपी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूदान–दान पर्चा में खाता,खेसरा गलत अंकित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूदाता द्वारा दान में दी गई भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 28/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 28/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।